संख्या– 1064 /XXVIII(1)-2006-19/2006

प्रेषक,

आलोक कुमार जैन
प्रमुख सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
उत्तरांचल, देहरादून।

चिकित्सा अनुभाग–1

देहरादूनः दिनांकः 31मई, 2006

विषयः– श्रीनगर मेडिकल कालेज की स्थापना हेतु भवनों के निर्माण की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–7प/1/मे0का0/91/2002/5942 दिनांक 28/02/2006 तथा संख्या–12ए/5/78/2001/7141, दिनांक 13/03/2006 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय वित्तीय वर्ष 2006–07 में श्रीनगर मेडिकल कालेज की स्थापना के लिए एकेडमिक ब्लॉक के भवन निर्माण तथा फेज–I (अ) (ब) ,फेज–II, फेज–III फेज– IV व फेज–V के भवनों के निर्माण हेतु उपलब्ध कराये गए आगणनों की आंकलित राशि क्रमशः रू0 719.42 लाख तथा रू0 7645.09 लाख अर्थात कुल रू0 8364.51 लाख के सापेक्ष टी0ए0सी0 द्वारा संलग्नकानुसार आंकलित औचित्यपूर्ण धनराशि क्रमशः रू0 710.00 लाख तथा रू0 7126.00 लाख अर्थात कुल रू0 7836.00 लाख(रू0 अठहत्तर करोड़ छत्तीस लाख मात्र) की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय अनुमोदन प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष में एकेडमिक ब्लॉक तथा फेज–I(प्रथम चरण) के निर्माण कार्य हेतु प्रथम किश्त के रूप में क्रमशः रू0100.00 लाख तथा रू0 900.00 लाख अर्थात् कुल रू0 1000.00 लाख (रुपये दस करोड़ मात्र) की धनराशि के व्यय की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

1– व्यय वित्त समिति की दिनांक 04/04/2006 व 07/04/2006 को आयोजित बैठक के संलग्न कार्यवृत्त में श्रीनगर मेडिकल कालेज के निर्माण के लिए दिए गये दिशा–निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2– स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग एम0सी0आई0 के मानकों के अनुसार प्रथम चरण के कार्यों को पूर्ण करने के लिए न्यूनतम आवश्यकता के अनुसार किया जायेगा।

3– एकमुश्त प्राविधानों को कार्य करने से पूर्व विस्तृत प्रस्ताव बनाकर सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त कर लें।

4– कार्य कराते समय लो0 नि0 विभाग के स्वीकृत विशिष्टियों के अनुरूप कार्य कराये तथा कार्य की गुणवत्ता पर विशेष बल दिया जाये। कार्य की गुणवत्ता का पूर्ण उत्तरदायित्व निर्माण एजेन्सी का होगा।

5– उ0प्र0राजकीय निर्माण निगम, उत्तरांचल को श्रीनगर मेडिकल कालेज के निर्माण कार्य हेतु निर्माण ईकाई नामित किया जाता है। उक्त स्वीकृत धनराशि को तत्काल आहरित किया जायेगा , तत्पश्चात् परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0राजकीय निर्माण निगम, उत्तरांचल को उपलब्ध कराई जायेगी। स्वीकृत धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में इसी वित्तीय वर्ष के भीतर सुनिश्चित किया जायेगा।

निर्माण ऐजेन्सी कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर ले कि कार्य स्वीकृत लागत में ही पूर्ण कराया जायेगा तथा किसी भी दशा में लागत पुनरीक्षित नही की जायेगी।

6– स्वीकृत धनराशि के आहरण से संबंधित वाऊचर संख्या एवं दिनांक की सूचना तत्काल उपलब्ध कराई जायेगी तथा धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका मे उल्लिखित प्राविधानों मे बजट मैनुअल तथा शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों के अनुसार किया जाना सुनिश्चित् किया जायेगा।

7– आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/ अनुमोदित दरों मे जो दरें शिड्यूल ऑफ रेट में स्वीकृत नही हैं अथवा बाजार भाव से भी ली गयी हो, कि स्वीकृति नियमानुसार कम से कम अधीक्षण स्तर के अधिकारी का अनुमोदन आवश्यक होगा।

8– कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

9– कार्य पर उतना ही व्यय किया जायेगा जितना कि स्वीकृत मानक हैं। स्वीकृत मानक से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

10– एक मुश्त प्राविधन को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

11– कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते एवं लोक निमार्ण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें ।

12– कार्य करने से पूर्व स्थल का भली भाँति निरीक्षण उच्च अधिकारियों एवं भुगर्भवेत्ता के साथ अवश्य करा लें। निरीक्षण के पश्चात् स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जायें।

13– आगणन को जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गयी है, उसी मद पर व्यय किया जाए, एक मद का दूसरी मद मे व्यय कदापि न किया जाए। निर्माण सामग्री को प्रयोग मे लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से परीक्षण करा लीं जाय, उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग मे लाया जाए।

14– स्वीकृत धनराशि की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति आख्या प्रत्येक दशा मे माह की 07 तारीख तक निर्धारित प्रारूप पर शासन को उपलब्ध कराई जायेगी। यह भी स्पष्ट किया जाएगा कि इस धनराशि से निर्माण का कौन सा अंश पूर्णतया निर्गत किया गया है।

15– निर्माण के समय यदि किसी कारणवश यदि परिकल्पनाओं/विशिष्टियों मे बदलाव आता है तो इस दशा में शासन की स्वीकृति आवश्यक होगी ।

16–निर्माण साम्रगी को प्रयोग में लाने से पूर्व सामग्री का किसी प्रयोगशाला से टेस्टिंग करा ली जाय तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाए।

17– निर्माण कार्य से पूर्व नींव के भू–भाग की गणना आवश्यक है, नींव के भू–भाग की गणना के आधार पर ही भवन निर्माण किया जाय।

18–यदि स्वीकृत राशि मे स्थल विकास कार्य सम्भव न हो, तो कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन मानचित्र गठित कर शासन से स्वीकृति प्राप्त करनी होगी। स्वीकृति राशि से अधिक कदापि व्यय न किया जाय।

19– उक्त भवनों के कार्यो को शीघ्र प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण किया जाए ताकि लागत पुरीक्षित करने की आवश्यकता न पडे ।

20– उक्त व्यय वित्तीय वर्ष 2006–07 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–12 के लेखाशीर्षक 4210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय– आयोजनागत –03–चिकित्सा, शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान–105–एलोपैथी– 03–श्रीनगर में मेडिकल कालेज की स्थापना–00–24–वृहत निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

21– यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 सं0–214/वित्त (व्यय–नियंत्रण)अनुभाग–3/2006 दिनांक 30/05/2006 में सहमति से जारी किये जा रहे है ।

संलग्नक:–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(आलोक कुमार जैन)
प्रमुख सचिव

संख्या–1064(1)/XXVIII(1)-2006-19/2006 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1–महालेखाकार, उत्तरांचल, माजरा देहरादून ।
2–निदेशक, कोषागार, उत्तरांचल ,देहरादून।
3–मुख्य कोषाधिकारी, देहरादन।
4–जिलाधिकारी, पौड़ी।
5–मुख्य चिकित्साधिकारी, पौड़ी गढ़वाल ।
6–मुख्य चिकित्साधीक्षक, श्रीनगर बेस चिकित्सालय, पौड़ी गढ़वाल।
7–परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम, उत्तरांचल।
8–निजी सचिव मा0 मुख्यमंत्री।
9–वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तरांचल।
10–वित्त(व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–3/नियोजन विभाग/एन.आई.सी.
11–विभागीय पुस्तिका ।

आज्ञा से,

(ओमकार सिंह)
अनु सचिव।

शासनादेश संख्याः– 1064/XXVIII(1)-2006-19/2006, दिनांक 31 मई, 2006 का संलग्नक्

(धनराशि लाख रूपये में)

क0स0	योजना का नाम	अनुमोदित लागत	वर्ष 2006–07 में प्रथम किश्त के रूप में स्वीकृत की जा रही धनराशि।
1.	श्रीनगर मेडिकल कालेज की स्थापना हेतु फेज–I (अ) (ब) ,फेज–II, फेज–III फेज– IV व फेज–V से सम्बन्धित निर्माण कार्य।	7126.00	900.00
2.	श्रीनगर मेडिकल कालेज हेतु एकेडमिक ब्लॉक का निर्माण।	710.00	100.00
योग		7836.00	1000.00

(रूपये दस करोड़ मात्र)

(ओमकार सिंह)
अनु सचिव